प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चालीस'

प्रश्न सं. [क्र. 5373]

मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

ज्ञापन क्र.एफ 1–6/2004/स्था/19

प्रति, भोपाल,दिनांक 22-7-2004

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
.... परिक्षेत्र.................... म.प्र.।

1500
22/7/04

विषय :–उच्च पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में निर्देश।

विभाग के ज्ञापन क्र.627/942/स्था/19/84, दिनांक 6.2.84 एवं ज्ञापन क्र. एफ 10–2/90/स्था/19, दिनांक 1.4.98 एवं ज्ञापन एफ 21–33/2003/स्था/19, दि. 31.03.2003 को अधिक्रमित करते हुए रिक्त पद पर अन्य अधिकारी को चालू प्रभार देने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(1) विभाग के अंतर्गत किसी भी पद के रिक्त होने पर जब तक उस पद पर सक्षम अधिकारी/शासन द्वारा नवीन अधिकारी की पदस्थापना नहीं की जाती है तब तक उस पद पर निम्नानुसार अधिकारी को रिक्त पद का चालू कार्यभार दिया जाय। अधिकारी को चालू कार्यभार देते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि उस अधिकारी के विरूद्ध सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत विभागीय जांच प्रचलित तो नहीं है। इसके अलावा यह भी देखा जाए कि उसके विरूद्ध लोकायुक्त ई.ओ.डब्ल्यू. सी.टी.ई. अथवा शासन की किसी अन्य सतर्कता संस्था के द्वारा विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा तो नहीं की गई है अथवा किसी गंभीर वित्तीय अनियमितता की शिकायत के संबंध में की गई प्रारंभिक जांच में दोषी तो नहीं पाया गया है। ऐसे अधिकारी जिनके विरूद्ध समान्य अभियोजन की कार्यवाही प्रचलित है को भी चालू कार्यभार न दिया जाए।

(2) चालू कार्यभार निम्नानुसार दिया जाये :–

रिक्त पद का नाम	चालू प्रभार किसे दिया जाए		सक्षम अधिकारी जिसके द्वारा आदेश जारी किये जाएंगे
	विकल्प एक	विकल्प दो	
1	2	3	4
1. प्रमुख अभियंता	वरिष्ठतम मुख्य अभियंता		शासन द्वारा
2. मुख्य अभियंता	विभाग में कार्यरत अन्य मुख्य अभियंता	प्रदेश स्तर पर वरिष्ठतम अधीक्षण यंत्री	शासन द्वारा
3. अधीक्षण यंत्री	परिक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत अन्य अधीक्षण यंत्री	परिक्षेत्र अंतर्गत वरिष्ठतम कार्यपालन यंत्री	संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा

prabhar

22.7

4. कार्यपालन यंत्री	परिक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत अन्य कार्यपालन यंत्री	संभाग के अंतर्गत कार्यरत वरिष्ठतम सहायक यंत्री	संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा
5. सहायक यंत्री (अनुविभागीय अधिकारी)	संभाग में कार्यरत अन्य सहायक यंत्री	संभाग में कार्यरत वरिष्ठतम उपयंत्री	संभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा

(3) यदि उपरोक्त कॉलम नं. 2 व 3 के अनुरूप निर्धारित व्यवस्था के अतिरिक्त व्यवस्था किसी विशेष परिस्थिति में किया जाना आवश्यक हो तो कॉलम 4 में वर्णित सक्षम अधिकारी के द्वारा अपने से वरिष्ठ अधिकारी का आदेश लेना आवश्यक होगा ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी के रिक्त पद पर संभाग में कार्यरत वरिष्ठतम उपयंत्री को प्रभार देते समय यह देखा जाए कि स्नातक उपयंत्री को डिप्लोमाधारी उपयंत्री के तुलना में 4 अतिरिक्त वर्षो की वरियता का लाभ दिया जाए ।

(5) यहां पर संभाग व परिक्षेत्र से आशय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत परिभाषित परिक्षेत्र तथा संभाग से रहेगा । कनिष्ठ अधिकारी के विरूद्ध कंडिका (1) में उल्लेखित कार्यवाही लंबित रहते हुए उससे निम्नतर अधिकारी को प्रभार दिया जाय ।

Dipali Rastogi
(दीपाली रस्तोगी)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

पृ.क्र. एफ 1–6/2004/स्था/19 भोपाल,दिनांक 22-7-2004
प्रतिलिपि :–

1. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग म.प्र. ।
2. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भ/स संभाग ....
3. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग ——————
4. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग ——————
5. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग वि/यां संभाग ——————

(एच.के.बांगर)
अवर सचिव
लोक निर्माण विभाग

prabhar